

Anand Vardhan Sinha, IAS

Board of Revenue, Bihar-cum-Chairman, Bihar Combined Entrance Competitive **Examination Board.** IAS Association Building, Patna-800014.

अ०स०प०सं०: 766/2016

(0612) 2217029 (O)

Mob.: 9570051805 (0612) 2215677

दिनांक 19.05.2016

प्रिय

विषय : Regarding proposal for setting up-"Tribes Advisory Council" for the

State of Bihar under provisions of para 4 of 5th Schedule in pursuance

of article 241(1) of constitution of India.

उपर्युक्त विषय की ओर आपका कृपापूर्ण विशेष व्यक्तिगत ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि तत्कालीन सचिव, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना के पद पर रहते हुए मैंने उक्त आयोग के पत्रांक-3164 दिनांक 27.02.2015 (सहज संदर्भ हेतू छायाप्रति संलग्न है) के द्वारा अनुसूचित जनजातिओं के विशेष कल्याणार्थ, विकासार्थ तथा उत्थानार्थ सुसंगत धाराओं के अंतर्गत बिहार का वर्ष 2000 में विभाजन और झारखंड राज्य के पृथक गठन के उपरांत शेष बिहार में "Tribes Advisory Council" or the State of Bihar under provisions of para 4 of 5th Schedule in pursuance of article 241(1) of constitution of India की स्थापना के लिए सुझाव और प्रस्ताव दिया था, जिससे की शेष बिहार में लगभग 15 लाख अनुसूचित जनजाति की आबादी का विशेष विकास, कल्याण और प्रगति के लिए जनजातीय परामर्शदात्री परिषद् का गठन किया जा सके और शेष बिहार में भी इस वर्ग के लोगों का समाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास और कल्याण सुनिश्चित किया जा सके।

इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री जी/ माननीय मंत्री प्रभारी, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना का क्पापूर्ण ध्यान आकुष्ट किया जाय और इस सम्बन्ध में इस परिषद् के शीघ्र गठन के लिए नियमानुसार विधि सम्मत् समुचित कार्रवाई हेतु कदम उठाया जाय ।

अनुरोध है कि कृपया इस सम्बन्ध में कृत कार्रवाई से अद्योहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने की कृपा की जाय।

भवदीय,

अनुलग्नक : यथोक्त ।

ह०∕-(आनन्द वर्द्धन सिन्हा)

श्री अंजनी कुमार सिंह, मुख्य सचिव, बिहार ।

ज्ञापांक- 766/2016

दिनांक- 19.05.2016

प्रतिलिपि: साअनुलग्नक विकास आयुक्त, बिहार / माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव / माननीय मंत्री प्रभारी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना / निदेशक, अनुग्रह नारायण सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

उनसे अनुरोध है कि अपने स्तर से भी इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सम्पन्न करने की कृपा की जाय।

> ह०/-अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार

ज्ञापांक- 766/2016

दिनांक- 19.05.2016

प्रतिलिपि : श्री प्रमोद कुमार सिंह, संरक्षक, बिहार आदिवासी अधिकार फोरम, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/-

अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार

ज्ञापांक- 766/2016

दिनांक- 19.05.2016

प्रतिलिपि : प्रो0 डा0 सचीन्द्र नारायण, प्रख्यात विश्व स्तरीय मानवशास्त्री (Anthropologist), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार

M12, 5.16

र्गा, सिन्हा *..प्र.से*. (पुख्य सचिव रैंक) मचिव

A. V. Sinha I.A.S. (Chief Secy. Rank) Secretary



बिहार मानवाधिकार आयोग Bihar Human Rights Commission

9, बेली रोड, पटना-800 015

9. Bailey Road, Patna - 800 015

Ph.: 0612-2232291 (O) Ph.: 0612-2534053 (R)

Mob.: 9471002388 8298507589

E-mail: sinhaav@ias.nic.in

Letter No: 3/64

To,

Chief Secretary, Government of Bihar

Patna

Regarding proposal for setting up "Tribes Advisory Council" for the Subject :-State of Bihar under provisions of Para 4 of 5th Schedule in pursuance of article 241(1)of Constitution of India.

Sir,

Inviting your kind special attention to the above subject, I am to enclose herewith a copy of letter no. Ref. BTRF/ 080/2015 from Sh. Promod Kumar Singh, Patron of Bihar Tribal Rights Forum (BTRF). The petitioner has prayed for setting up Tribal Advisory Council in the State of Bihar (Post -Jharkhand). There is every plausible administrative reason to believe and hope that the genuine problems of the tribes I be can be speedily and smoothly settled in case such a Tribal Advisory Council were constituted for this State.

It may be mentioned that prior to creation of Jharkhand 2. State upon the bifurcation of old State of Bihar in 2000 AD, there was an active Tribal Advisory Council of which the Hon'ble Chief Minister, Bihar was the Chairman and Hon'ble Minister for Schedule Caste and Scheduled Tribe Welfare Deptt., was the Vice Chairman of this body. There were 29 members belonging to Scheduled Tribes in old Bihar assembly of which are 27 and now in the State assembly of Jharkhand and only two members of these categories(ST) are in Bihar, e.g. Katoria (Banka district) and Manihari, (Katihar district). It may be pointed out that there are many seats reserved for Schedule Tribes in Lok Sabha

from Jharkhand whereas there is no seat reserved for tribes in the Lok Sabha from residual Bihar.

3. In this connection with this, issue it appears advisable to create a separate Tribes Advisory Council for Bihar in terms of this article. This could go a long way in satisfying genuine desires and demands of the tribal community in Bihar. It may be noted that Bihar Govt. have set-up a Scheduled Tribe Commission for the State of Bihar, which is a welcome step in the right direction.

Encl:-2 nos. as above

Yours faithfully,

Sd/-(A.V.Sinha)_{I.A.S} Secretary , BHRC

Memo No. 3164

Patna, Date. 27. 1.2015

Copy to:- Development Commissioner, Bihar, Patna / P.Secy to Hon'ble Chief Minister, Government Of Bihar, Patnay P.Secy., SC/ST welfare Deptt., Patna/ Director, A.N.Sinha institute, Patna for information and needful as per law.

Secretary

्राट आदिवासी अधिकार फीरम BIHAR TRIBAL RIGHTS FORUM (BTRF)



Contact Address: A-22, R.D. Tower (State Bank Morh), New Punaichak, Patna - 800 023

Patron: Pramod Kr. Singh (Mob. 9431419356), Email: tribalrightsforum@gmail.com

State Convener: Mahadeo Mandal (Mob.: 9931291093)

Ref. BTRF/ 98.0 2015

सेवा में.

प्रधान सचिव,

राज्य मानवाधिकार आयोग,

बिहार, पटना।

Date: 21-01-20 15

विषय : जनजातीय परामर्शी परिषद (Tribal Advisory Council) गठन कर्षने हेतु अनुरोध। महाशय,

बिहार में अनुसूचित जनजाति की 13.36 लाख आबादी समुदाय के स्तर पर बड़ी आबादी है और इस राज्य में Tribal Advisory Council के गठन का मामला अभी तक लिखत है। जिन राज्यों में जनजातीय उपयोजना लागू है उनमें अधिकांश राज्यों में जनजातीय परामर्शी परिषद गठित एवं कार्यरत है। वैसे राज्य यथा— प. बंगाल, तमिलनाडू एवं उत्तराचल जहां अनुसूचित क्षेत्र (Scheduled Area) अधिसूचित नहीं हैं वहां भी Tribal Advisory Council गठित एवं कार्यरत है।

विदित हो कि अनुसूचित जनजाति की आबादी तमिलनाडू में मात्र 0.76 प्रतिशत एवं उत्तरांचल में मात्र 0.28 प्रतिशत है जबकि बिहार में इन राज्यों से काफी अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी (1.28 प्रतिशत) है।

अनुरोध है कि बिहार में जनजातीय परामर्शी परिषद के गठन हेतु अविलम्ब कार्रवाई के लिए प्रधान सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार को निदेशिल करने की महती कृपा की जाए।

सादर,

७१५) (प्रमोद कुमार वि

संरक्षक

मो० 9431419356